The ARTist International: A Multidisciplinary Journal Dedicated to All Artist
Vol. 3, Issue 1 – 2019
ISSN: 2581-5393

शिक्षा के मूल अधिकार का महत्व

राजकुमार सोलंकी

किसी भी देश के सामाजिक विकास में उस देश की शिक्षा का बहुत महत्व रहता है। भारत में प्राचीन समय से ही शिक्षा को महत्व प्रदान करते हुए गुरुकुल की व्यवस्था देखने को मिलती थी। समय के साथ इस परिस्थिति में परिवेर्तन देखने को मिले।

वर्तमान समय में हमारे देश में शिक्षा के नए रूप देखने को मिले आज देश में शिक्षा तंत्र को तीन भागो में बाटा गया है-

1. प्राथमिक शिक्षा
2. माध्यमिक शिक्षा
3. उच्च माध्यमिक शिक्षा

सभी भागों का स्थान जीवन में बहुत महत्व रखता है। इसमें प्रथम भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसमे प्राथमिक शिक्षा विद्यार्थियों को जीवन का आधार प्रदान करती है जो बच्चो के जीवन में किसी भी स्थान में सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में साक्षरता दर ७५.०६ प्रतिशत (२०११) हे १९४७ में मात्र १८ प्रतिशत थी। भारत की साक्षरता दर विश्व की दर ८४ प्रतिशत से कम है। भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष एवम महिलाओ में काफी अन्तर है। जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर ८२.१४ प्रतिशत है। महिलाओ में इसका प्रतिशत केवल ६८.४६ प्रतिशत है। महिलाओ में कम साक्षरता का कारण अधिक आबादी और परिवार नियोजन की जानकारी में कमी है।

भारतीय समाज में शिक्षा और साक्षरता की कमी का कारण, गरीबी, नशा, विगठित परिवार, प्राकृतिक आपदा, समाज का संगठित न होना है। आज हम छोटे छोटे बच्चो को बाल मजदूरी करते देखते है। इस के कारण अनेक हो सकते है किन्तु हमारे सविधान निर्माताओ ने सभी बालको को शिक्षा देने का कर्तव्य राज्य के निति निर्देशक तत्वों के रूप में भाग-४ में रखा था। अनुच्छेद ४५ के अधीन राज्य का १४ साल की आयु के सभी बालकां को निशुल्क शिक्षा देना कर्तव्य था। यह मन गया था की जनता द्वारा चुनी हुई सरकारे सविधान के इस निर्देश को

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved.

The ARTist International: A Multidisciplinary Journal Dedicated to All Artist
Vol. 3, Issue 1 – 2019
ISSN: 2581-5393

इमानदारी से क्रियान्वित करेगी नीति निर्देशकों को मूल अधिकारों से कम महत्व नहीं दिया गया है डॉ, अम्बेडकर ने कहा था की निर्देशक तत्त्व एक पवित्र घोषणा है, मर्त्य नहीं है बल्कि एक संवैधानिक दायित्व है और उन्हें लागु न करने पर सरकर को जनता के समक्ष जवाब देना पड़ेगा और कोई भी सरकार इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती अनुछेद ४५ में विहित स्पष्ट रूप से वर्णित निति निर्देशक तत्वों के बावजूद भी सरकारों ने इस और कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है और सविधान लागु होने के ६८ वेर्ष बीत जाने के पश्चात भी भारत के ४० प्रतिशत बालक शिक्षा से वंचित है। संविधान निर्माताओं का मत था की राज्य की विकट स्थिति को देखते हुए इससे मूल अधिकार बनाना उचित होगा, उनकी यह आशा राजनीतिज्ञों ने विफल कर दी। संविधान (८६ व संशोधन) अधिनियम २००२ द्वारा सविधान में एक नया अनुछेद २१ (क) जोडकर ६ वर्ष से १४ वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। अनुछेद २१ (क) का मूल पथ इस प्रकार है-

राज्य ऐसे नीति से जैसा की विधि बनाकर निर्धारित करे ६ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयु के सभी बालको के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा।

८६ वे सविधान द्वारा की गई यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के एक लम्बे समय बाद भी लगभग ४० प्रतिशत बालक शिक्षा से वंचित है। संविधान निर्माताओं का शायद ये मत था की राज्य की विकट स्थिति को देखते हुए इससे मूल अधिकार बनाना उचित होगा। उनकी यह आशा राजनीतिज्ञों ने विफल कर दी।

इस बीच न्यायालय ने इस और ध्यान दिया और कई नागरिक इस अधिकार को मानाने के लिए न्यायालय में वाद दायर किये। सौभाग्य से न्यायालय ने संविधान के अनुछेद २१ के निर्वचन से इस ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। सवर्प्रथम मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि शिक्षा का मूल अधिकार अनुछेद २१ में प्रयुक्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में निहित है। शिक्षा के बिना वह अपने मूल अधिकार का ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है। शिक्षा का अधिकार उसका मूल अधिकार है किन्तु इस मामले में यह निर्णित नहीं किया गया था कि किस आयु तक के बालकों के लिए शिक्षा आवश्यक है। यूनिकृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत पहले १४ वर्ष तक के बालको के शिक्षा को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया था। उच्चतम

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved.

ISSN: 2581-5393

न्यायालय के इस निर्णय की पुष्टि अब सविधान में अनुछेद २१ (क) जोडकर की गई है। अनुछेद २१ (क) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या अस. ओ ४२७ (इ) दिनांक १६ फरवरी २०१० द्वारा १ अप्रैल २०१० से प्रवर्तनीय किया गया है।

अनिल पंजाब राव नहरे बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सभी स्थानों के बालको के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे स्थानों पर शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाए जहाँ आसपास में ऐसी कोई संस्था न हो।

सोसाइटी ऑफ उत्तर प्रदेश स्कूल ऑफ राजस्थान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये प्रतिपादित किया गया की अनुछेद २१ (क) राज्य को निःशुल्क एव अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करने का अधिकार देता है।

सन्दर्भ सूची

1. भारत का सविधान, डॉ. जय नारायण पांड।
2. भारत का सविधान, डॉ. बसंतीलाल बाबेलै।

© Eureka Journals 2019. All Rights Reserved.